मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम

Headquarters, Employees' State Insurance Corporation

पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110002

Panchdeep Bhawan, CIG Road, New Delhi-110002

www.esic.nic.in

चिन्ता से मुक्ति

संख्या : 13/12/17/2014-जन संपर्क

दिनांक : 07.10.2014

सेवा में,

सभी क्षेत्रीय निदेशक/प्रभारी निदेशक/प्रभारी संयुक्त निदेशक
चिकित्सा अधीक्षक/निदेशक (चिकित्सा) दिल्ली
क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालय/क.रा.बी. निगम अस्पताल
क.रा.बी. निगम

विषय : **"कार्यस्थल पर महिला के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण)" विषय पर क.रा.बी. निगम में कार्यशाला/जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन।**

महोदया/महोदय,

1. अ.जा.ज. कक्ष, मुख्यालय के पत्र संख्या ए-12/18/1/नीति/14-अ.जा.ज., दिनांक 16.05.2014 तथा वर्ष 2014-15 के लिए जन संपर्क शाखा की कार्य योजना के अनुक्रम में मुझे यह सूचित करने का निदेश दिया गया है कि श्रम और रोजगार मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसार "कार्यस्थल पर महिला के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण)" विषय पर क.रा.बी. निगम में कार्यशाला/जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं। कार्यशालाओं का पहला सेट कानपुर, चंडीगढ़, पटना, इंदौर, गोवा, चेन्नै और हैदराबाद स्थित क.रा.बी. निगम के 07 क्षेत्रीय कार्यालयों में आयोजित किया जाएगा। सभी प्रतिभागी इकाइयों के संबंध में सभी व्यवस्थाएँ मेजबान क्षेत्रीय कार्यालय करेगा।

2. राज्यों की इकाइयों में से प्रत्येक से **दो सदस्य** (क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों/क.रा.बी. निगम अस्पतालों/निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली द्वारा प्रतिनियुक्त किए जाने वाले), जिसमें इस विषय से संबंधित कार्य देखने वाला शाखा अधिकारी तथा उनकी प्रशासन शाखा/इस विषय से संबंधित शाखा का एक कर्मचारी शामिल होगा, कार्यशालाओं में भाग लेंगे। यह सुनिश्चित किया जाए कि दो सदस्य सहभागियों में से प्रत्येक टीम में एक पुरुष तथा एक महिला अधिकारी/कर्मचारी हो। दो जन संपर्क कर्मचारियों सहित संयुक्त निदेशक(जन संपर्क)/उप निदेशक(जन संपर्क) आवश्यकतानुसार कार्यशाला आयोजन स्थलों का दौरा करेंगे। सहभागी उनकी हकदारी अनुसार नियमित यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का दावा कर सकेंगे।

वेबसाइट की विषय-सूची का प्रबन्धन
Website Contents Management
डायरी सं. / Diary No. 725
दिनांक / Date 17/10/14

उपर्युक्त कार्यशाला के सहभागियों से कार्यशाला समाप्ति के बाद अपनी इकाइयों में वापस लौटने पर अपनी प्रत्येक इकाई में– दो घंटे का एक सत्र आयोजित करने की अपेक्षा होगी। दो घंटे का यह सत्र उपर्युक्त कार्यशालाओं की शिक्षा पर आधारित होगा। **इस प्रकार निगम के प्रत्येक कर्मचारी को "कार्यस्थल पर महिला के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण)" के बारे में जागरूक करने के लिए एक श्रृंखला प्रभाव उत्पन्न करने का उद्देश्य है।**

3. मेजबान क्षेत्रीय कार्यालय प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठनों के वक्ता/विशेषज्ञों/केंद्र या राज्य महिला आयोग के सदस्यों/कानूनी दिग्गजों/मनोवैज्ञानिकों/संबंधित क्षेत्र में प्रतिष्ठित शिक्षाविदों को आमंत्रित करेंगे।

4. फोटो सहित समेकित संक्षिप्त रिपोर्ट जन संपर्क शाखा, मुख्यालय को ईमेल pranava.kumar@esic.in, pranavakumar05@gmail.com पर भेजी जाए ताकि यह आगे महानिदेशक को प्रस्तुत की जा सके। यह रिपोर्ट अच्छे व्याख्यान नोट आदि के साथ भी संलग्न की जा सकती है ताकि क.रा.बी. निगम के भविष्य के प्रकाशनों में इसे स्थान दिया जा सके।

5. इसके लिए, महानिदेशक/वित्त आयुक्त ने उपर्युक्त कार्यशालाएँ निम्नलिखित क.रा.बी. निगम क्षेत्रीय कार्यालयों में आयोजित करने के लिए सभी संबंधित क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों/क.रा.बी. निगम अस्पतालों/निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली के लिए अनुमोदन/संस्तुति प्रदान की है :-

प्रथम कार्यशाला कानपुर में 30 अक्टूबर, 2014 को		
व्याप्त राज्य	व्याप्त क्षेत्रीय कार्यालय/ उप क्षेत्रीय कार्यालय/अस्पतालों की संख्या	सहभागियों की संख्या
दिल्ली	मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय/ उप क्षेत्रीय कार्यालय–दिल्ली, रोहिणी, ओखला, शाहदरा, क.रा.बी.नि. अस्पताल–बसईदारापुर, ओखला, रोहिणी, झिलमिल, निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली	10 इकाइयाँ x प्रत्येक इकाई से 2 सदस्य = 20
उत्तर प्रदेश	क्षेत्रीय कार्यालय/उप क्षेत्रीय कार्यालय–कानपुर, नोएडा, लखनऊ, वाराणसी क.रा.बी.नि. अस्पताल–नोएडा	5 इकाइयाँ x प्रत्येक इकाई से 2 सदस्य = 10
उत्तराखंड	क्षेत्रीय कार्यालय–देहरादून	1 इकाई x प्रत्येक इकाई से 2 सदस्य = 2
कुल सहभागी		32
द्वितीय कार्यशाला चंडीगढ़ में 17 नवम्बर, 2014 को		
हिमाचल प्रदेश	क्षेत्रीय कार्यालय–बद्दी क.रा.बी.नि. अस्पताल–बद्दी	2 इकाइयाँ x प्रत्येक इकाई से 2 सदस्य = 4
पंजाब	क्षेत्रीय कार्यालय/उप क्षेत्रीय कार्यालय–चंडीगढ़, लुधियाना, जालंधर क.रा.बी.नि. अस्पताल–लुधियाना, राम दरबार	5 इकाइयाँ x प्रत्येक इकाई से 2 सदस्य = 10

जम्मू एवं कश्मीर	क्षेत्रीय कार्यालय–जम्मू क.रा.बी.नि. अस्पताल, बरी ब्रह्मणा	2 इकाइयाँ X प्रत्येक इकाई से 2 सदस्य = 4
हरियाणा	क्षेत्रीय कार्यालय/उप क्षेत्रीय कार्यालय– फरीदाबाद, गुड़गाँव, अंबाला क.रा.बी.नि. अस्पताल– गुड़गाँव, मानेसर, फरीदाबाद	6 इकाइयाँ X प्रत्येक इकाई से 2 सदस्य = 12
कुल सहभागी		**30**
तृतीय कार्यशाला पटना में 25 नवम्बर, 2014 को		
बिहार	क्षेत्रीय कार्यालय–पटना क.रा.बी.नि. अस्पताल–फुलवारीशरीफ	2 इकाइयाँ X प्रत्येक इकाई से 2 सदस्य = 4
उत्तर-पूर्व	क्षेत्रीय कार्यालय–गुवाहाटी क.रा.बी.नि. अस्पताल–बेलतला (गुवाहाटी)	2 इकाइयाँ X प्रत्येक इकाई से 2 सदस्य = 4
पश्चिम बंगाल	क्षेत्रीय कार्यालय/उप क्षेत्रीय कार्यालय– कोलकाता, बैरकपुर, दुर्गापुर क.रा.बी.नि. अस्पताल–जोका	4 इकाइयाँ X प्रत्येक इकाई से 2 सदस्य = 8
झारखंड	क्षेत्रीय कार्यालय–रांची क.रा.बी.नि. अस्पताल–आदित्यपुर, नामकुम	3 इकाइयाँ X प्रत्येक इकाई से 2 सदस्य = 6
ओडिशा	क्षेत्रीय कार्यालय–भुवनेश्वर क.रा.बी.नि. अस्पताल–राउरकेला	2 इकाइयाँ X प्रत्येक इकाई से 2 सदस्य = 4
कुल सहभागी		**26**
चतुर्थ कार्यशाला इंदौर में 02 दिसम्बर, 2014 को		
मध्य प्रदेश	क्षेत्रीय कार्यालय–इंदौर क.रा.बी.नि. अस्पताल–इंदौर	2 इकाइयाँ X प्रत्येक इकाई से 2 सदस्य = 4
छत्तीसगढ़	क्षेत्रीय कार्यालय–रायपुर	1 इकाई X प्रत्येक इकाई से 2 सदस्य = 2
राजस्थान	क्षेत्रीय कार्यालय/उप क्षेत्रीय कार्यालय–जयपुर, जोधपुर, उदयपुर क.रा.बी.नि. अस्पताल–जयपुर, भिवाड़ी	5 इकाइयाँ X प्रत्येक इकाई से 2 सदस्य = 10
कुल सहभागी		**16**
पंचम कार्यशाला गोवा में (दिनांक बाद में सूचित की जाएगी)		
गुजरात	क्षेत्रीय कार्यालय/उप क्षेत्रीय कार्यालय– अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत क.रा.बी.नि. अस्पताल–वापी, अहमदाबाद, नरोड़ा	6 इकाइयाँ X प्रत्येक इकाई से 2 सदस्य = 12
महाराष्ट्र	क्षेत्रीय कार्यालय/उप क्षेत्रीय कार्यालय– मुंबई, ठाणे, मरोल, पुणे, नागपुर, औरंगाबाद, नासिक क.रा.बी.नि. अस्पताल–मुंबई	8 इकाइयाँ X प्रत्येक इकाई से 2 सदस्य = 16

गोवा	क्षेत्रीय कार्यालय–पणजी	1 इकाई X प्रत्येक इकाई से 2 सदस्य = 2
कुल सहभागी		20
छठी कार्यशाला चेन्नै में (दिनांक बाद में सूचित की जाएगी)		
तमिलनाडु	क्षेत्रीय कार्यालय/उप क्षेत्रीय कार्यालय–चेन्नै, मदुरै, कोयम्बतूर, तिरुनेलवेली, सेलम क.रा.बी.नि. अस्पताल–चेन्नै, कोयम्बतूर, तिरुनेलवेली क्षेत्रीय कार्यालय–पुदुच्चेरी	9 इकाइयाँ X प्रत्येक इकाई से 2 सदस्य = 18
केरल	क्षेत्रीय कार्यालय/उप क्षेत्रीय कार्यालय–तृश्शूर, कोल्लम, एरणाकुलम, कोषिकोड, तिरुवनंतपुरम क.रा.बी.नि. अस्पताल–आश्रमम, एषुकोण, पेरीपल्ली, उद्योगमंडल	9 इकाइयाँ X प्रत्येक इकाई से 2 सदस्य = 18
कुल सहभागी		36
सातवीं कार्यशाला हैदराबाद में 20 जनवरी, 2015 को		
आंध्र प्रदेश	क्षेत्रीय कार्यालय/उप क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापट्टणम, क.रा.बी.नि. अस्पताल नाचाराम, सनतनगर	5 इकाइयाँ X प्रत्येक इकाई से 2 सदस्य = 10
कर्नाटक	क्षेत्रीय कार्यालय/उप क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलुरु, हुबली, बोम्मसांद्रा, पीन्या, मैसूर, गुलबर्गा, मैंगलौर, क.रा.बी.नि. अस्पताल राजाजीनगर, पीन्या	9 इकाइयाँ X प्रत्येक इकाई से 2 सदस्य = 18
कुल प्रतिभागी		28

- **मेजबान क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा सभी संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय/उप क्षेत्रीय कार्यालय/प्रभागीय कार्यालय/क.रा.बी.नि. अस्पताल/निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली को अवश्य आमंत्रित किया जाए।**

6. कार्यशाला का आयोजन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में किया जाएगा। किसी बाहरी स्थान के आरक्षण की लागत वहन नहीं की जानी चाहिए। उपर्युक्त कार्यशाला के संचालन/आयोजन के लिए अनुमानित कुल बजट को निम्नानुसार सीमित किया जाना चाहिए :-

क्र.सं.	गतिविधि/विविध कार्य	राशि (₹ में)
1.	अतिथि वक्ताओं के मानदेय तथा परिवहन पर व्यय	दो वक्ताओं के लिए ₹ 30,000/-
2.	प्रतिभागियों के नाश्ते/मध्याह्न भोजन/रात्रि भोजन पर व्यय	₹ 300/- प्रति भोजन समय (नाश्ता/मध्याह्न भोजन/रात्रि भोजन)/प्रतिदिन/प्रति प्रतिभागी अर्थात् ₹ 300 X 3 भोजन, प्रति प्रतिभागी, प्रतिदिन

3.	जन संपर्क संबंधी कार्य अर्थात् पृष्ठ पट, बैनर इत्यादि पर व्यय	₹ 45,000/-
4.	लेखन सामग्री पर व्यय	₹ 10,000/-
5.	कार्यशाला स्थल पर ठहरने तथा परिवहन का खर्च (पिछले दिन तथा कार्यशाला समाप्त होने के बाद वाला दिन सहित 3 दिन के लिए)	लगभग ₹ 1,50,000/- (ठहरने के कुल दिनों के लिए ₹ 5,000/-प्रति सहभागी)
6.	विविध कार्य (यदि अपेक्षित हो)	₹ 10,000/-
कुल अनुमानित व्यय		₹ 2,72,000/- (अर्थात् लगभग 30 प्रतिभागियों के लिए) (यथा लागू कर अलग से)

तथापि मेजबान क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वास्तविक व्यय यथा निर्धारित नियत प्रक्रिया का पालन करते हुए उनके वित्त प्रभाग से परामर्श कर लिया जाना चाहिए और इस संबंध में कृपया मितोपभोग उपाय को ध्यान में रखा जाए।

इसे महानिदेशक का अनुमोदन प्राप्त है तथा इस पर वित्त आयुक्त की सहमति है।

भवदीय,

7.10.14

(आर.के. गौतम)

संयुक्त निदेशक(जन संपर्क)

प्रतिलिपि :-

1. वित्त आयुक्त/बीमा आयुक्त(जन संपर्क)/बीमा आयुक्त(का. एवं प्रशा.)/चिकित्सा आयुक्त/बीमा आयुक्त(हितलाभ/प्रबंध सेवा एकक) के निजी सचिव को सूचनार्थ।
2. स्थापना शाखा-VI एवं वित्त एवं लेखा शाखा-VIII को इस अनुरोध के साथ कि 'प्रकाशन एवं विज्ञापन' के शीर्ष के अंतर्गत जन संपर्क शाखा, मुख्यालय के बजट नियतन से मेजबान क्षेत्रीय कार्यालय (प्रतिभागियों की संख्या एवं उपर्युक्त अनुमान के अनुसार) को निधि के हस्तांतरण (30 प्रतिभागियों के लिए लगभग ₹ 2.72 लाख के बराबर) के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करे।
3. अनुसूचित जाति एवं जनजाति प्रकोष्ठ को उनके दिनांक 16.05.2014 के पत्र संख्या ए-12/18/1/नीति/14-अ.जा.ज. के संबंध में सूचनार्थ।
4. वेबसाइट सामग्री प्रबंधक को इसे क.रा.बी. निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।
5. गार्ड फाइल।

7.10.14

संयुक्त निदेशक(जन संपर्क)

E:\Amrit - 415\P R\महिला यौन उत्पीड़न.doc